

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gcms No2022 / 173

दायरा तिथि : 20.05.2022

प्राथमिक डिक्री दिनांक: 28.06.2022 फाइनल डिक्री दिनांक 21-12-2022

वादी :-

नरेन्द्र पुत्र ओटरमलजी जाति कलाल (मेवाडा)  
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

### बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रणजीतपुरी पुत्र भंवरपुरी
2. विनोदपुरी पुत्र भंवरपुरी
3. सुमित्रा पुत्री भंवरपुरी
4. गीतादेवी पत्नि भंवरपुरी तमाम ही जातिगण पुरी  
तमाम ही निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

उपस्थिति:-

1. श्री राजेन्द्रसिंह पंचार..... अभिगाषक वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ..... अनुपस्थित।
3. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार .....पैरोकार सरकार

--: निर्णय :-

दिनांक : 21-12-2022

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 191, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 211, 213, 216, 217, 222 कुल खसरा-15 कुल रकबा 15.16 हेक्टर किरम बाराणी दोगम, गै.मु. रास्ता कुल लगान 73.70 रुपये के संबंध में वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज सह खातेदारान् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 बावजूद सम्मन तामील के न्यायालय में नियत पेशीयो पर वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.6.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 05 विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से जवाब अवसर बंद किया गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अलावा अन्य कोई माथखक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकालत की बहस पर मनन के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2022 को प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड वाऊण्डस के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार, बाली द्वारा रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्राक/ भू030/ 2022/1501 दिनांक 27.11.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)	किरम	लगान (रुपये में)	विशेष विवरण
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	191	3.09	बाराणी दोगम	15.45	लाल रंग
	194	1.14	बाराणी दोगम	5.70	
	198	1.18	बाराणी दोगम	5.90	
	199	1.42	बाराणी दोगम	7.10	
	201	1.67	बाराणी दोगम	8.35	
	202	2.03	बाराणी दोगम	10.15	
	209	0.03	बाराणी दोगम	0.15	
	211	0.22	बाराणी दोगम	1.10	
	213	0.95	बाराणी दोगम	4.75	
	216	0.52	बाराणी दोगम	2.60	
	217	0.60	बाराणी दोगम	3.00	
	222	0.16	बाराणी दोगम	0.80	
	200/1	0.5017	बाराणी दोगम	2.5085	
	13	13.5117	-	67.5585	

पेज लगातार.....02

AP

//02//  
**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No2022/173**  
**अनवान नरेन्द्र बनाम रणजीतपुरी वगैरा**  
**अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

गीतादेवी पत्नि भवरपुरी 1/4 रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 सुमित्रापुरी पुत्री भवरपुरी 1/4 जाति गुसाई सा. चामुण्डेरी खातेदार	200	1.2283	बारानी दोगम	6.1415	ब्ल्यू स्काई
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल हिस्सा 11/12 जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	192	0.20	गै.मु. रास्ता	-	गुलाबी रंग
गीतादेवी पत्नि भवरपुरी हिस्सा 1/48 रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी हिस्सा 1/48 विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी हिस्सा 1/48 सुमित्रापुरी पुत्री भवरपुरी हिस्सा 1/48 जाति गुसाई सा. चामुण्डेरी खातेदार	195	0.25	गै.मु. रास्ता	-	गुलाबी रंग

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह पवान ने उपस्थित होकर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम मन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 191, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 211, 213, 216, 217, 222 कुल खसरा-15 कुल रकबा 15.16 हैक्टर किस्म बारानी दोगम, गै.मु. रास्ता कुल लगान 73.70 रुपये के संबन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान (रुपये में)	विशेष विवरण
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	191	3.09	बारानी दोगम	15.45	लाल रंग
	194	1.14	बारानी दोगम	5.70	
	198	1.18	बारानी दोगम	5.90	
	199	1.42	बारानी दोगम	7.10	
	201	1.67	बारानी दोगम	8.35	
	202	2.03	बारानी दोगम	10.15	
	209	0.03	बारानी दोगम	0.15	
	211	0.22	बारानी दोगम	1.10	
	213	0.95	बारानी दोगम	4.75	
	216	0.52	बारानी दोगम	2.60	
	217	0.60	बारानी दोगम	3.00	
	222	0.16	बारानी दोगम	0.80	
	200/1	0.5017	बारानी दोगम	2.5085	
	13	13.5117	-	67.5585	
गीतादेवी पत्नि भवरपुरी 1/4 रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 सुमित्रापुरी पुत्री भवरपुरी 1/4 जाति गुसाई सा. चामुण्डेरी खातेदार	200	1.2283	बारानी दोगम	6.1415	ब्ल्यू स्काई
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल हिस्सा 11/12 जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	192	0.20	गै.मु. रास्ता	-	गुलाबी रंग
	195	0.25	गै.मु. रास्ता	-	
	02	0.45			

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजारी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 73.70 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय नोज्यू स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भंदर को लिखा जावे। पत्रावली फाईनल शुमार होकर नंबर से कम हो।

( सुधी घाटपुरी मोहल नामा )

आई.ए.एस.

पदेन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली

**डिगरी बगुकदमें इबादाई**  
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाबा दीयानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बइजलास सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

**वादी :-**  
नरेन्द्र पुत्र ओटरमलजी जाति कलाल (मेवाडा)  
निवासी चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

**बनाम**

**प्रतिवादीगण :-**

- रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी
- विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी
- सुमित्रा पुत्री भवरपुरी
- गीतादेवी पत्नि भवरपुरी तमाम ही जातिगण पुरी  
तमाम ही निवासीगण चामुण्डेरी राणावतान तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
- राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

**राजस्व वाद प्रकरण संख्या : Gems No2022 / 173**


**अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिराल कतई रूबरू हमारे रामक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिव प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-  
पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादग्रस्त भूमि ग्राम भन्दर तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 191, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 209, 211, 213, 216, 217, 222 कुल खसरा-15 कुल रकबा 15.16 हैक्टर किरम बाराणी दायम, गै.मु. रास्ता कुल लगान 73.70 रुपये के संवध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत वादी एव प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के मध्य निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किरम	लगान (रुपये में)	विशेष विवरण
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	191	3.09	बाराणी दायम	15.45	लाल रंग
	194	1.14	बाराणी दायम	5.70	
	198	1.18	बाराणी दायम	5.90	
	199	1.42	बाराणी दायम	7.10	
	201	1.67	बाराणी दायम	8.35	
	202	2.03	बाराणी दायम	10.15	
	209	0.03	बाराणी दायम	0.15	
	211	0.22	बाराणी दायम	1.10	
	213	0.95	बाराणी दायम	4.75	
	216	0.52	बाराणी दायम	2.60	
	217	0.60	बाराणी दायम	3.00	
	222	0.16	बाराणी दायम	0.80	
	200/1	0.5017	बाराणी दायम	2.5085	
	13	13.5117	-	67.5585	
गीतादेवी पत्नि भवरपुरी 1/4 रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी 1/4 सुमित्रापुरी पुत्री भवरपुरी 1/4 जाति गुसाई सा. चामुण्डेरी खातेदार	200	1.2283	बाराणी दायम	6.1415	ब्ल्यू स्काई
नरेन्द्र पुत्र ओटरमल हिस्सा 11/12 जाति मेवाडा कलाल सा. चामुण्डेरी	192	0.20	गै.मु. रास्ता	-	गुलाबी रंग
	195	0.25	गै.मु. रास्ता	-	
गीतादेवी पत्नि भवरपुरी हिस्सा 1/48 रणजीतपुरी पुत्र भवरपुरी हिस्सा 1/48 विनोदपुरी पुत्र भवरपुरी हिस्सा 1/48 सुमित्रापुरी पुत्री भवरपुरी हिस्सा 1/48 जाति गुसाई सा. चामुण्डेरी खातेदार	02	0.45	-		

तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 73.70 रुपये के पाच गुणा राशि पर देय नोज्यू, स्टाम्प पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शों में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भदर को लिखा जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-12-22 को जारी किया गया।  
मोहर

  
 ( सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना, )  
 आई.ए.एस.  
 सहायक कलक्टर एवं पदेन्